न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 94/2022
ऑनलाईन नंबर 2022/188

निर्णय दिनांक 12.11.2022

1. कानाराम पुत्र बीरबलराम जाति रेगर निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. आरती पुत्री बीरबलराम जाति रेगर निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. बबीता पुत्री बीरबलराम जाति रेगर निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. मंजू पुत्री बीरबलराम जाति रेगर निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. सन्तोष पुत्री बीरबलराम जाति रेगर निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
6. सोनी पुत्री बीरबलराम जाति रेगर निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादीगण—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) —प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री नारायण पंवार अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 444 तादादी 4.97 हैक्टेयर रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। जिसमें वादीगण प्रत्येक 1/60—1/60 हिस्सा है। वादीगण का सही व वास्तविक नाम कानाराम, आरती, बबीता, मंजू, सन्तोष व सोनी पुत्र/पुत्रियां बीरबलराम है व वादीगण के आधार कार्ड, पुराने राशन कार्ड, मतदाता पहचान—पत्र व पार्षद द्वारा जारी प्रमाण—पत्र में भी वादीगण का यही नाम अंकित है लेकिन भूलवंश वादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 444 तादादी 4.97 हैक्टेयर रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी संख्या 3 बबीता का नाम बबीता के स्थान पर बेबी अंकित कर दिया है व वादीगण कानाराम, आरती, बबीता, मंजू, सन्तोष व सोनी के पिता का नाम बीरबलराम के स्थान पर दादा चौखाराम का नाम अंकित कर दिया गया। वादी ने दिनांक 30.06.2022 को अपने उक्त खेत पर के.सी.सी. बनाने के लिए उक्त खेत के राजस्व रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त की तो वादीगण को अपने संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 444 तादादी 4.97 हैक्टेयर रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी संख्या 3 बबीता का नाम बबीता के स्थान पर बेबी दर्ज होने व वादीगण के पिता का नाम बीरबलराम के स्थान पर दादा का नाम चौखाराम अंकित होने की जानकारी हुई। तब वादीगण ने हल्का पटवारी उक्त नामों को सही करने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने वादीगण से कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश करवाओ तभी राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन हो सकता है। उक्त खेत के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का गलत नाम दर्ज हो जाने से वादीगण अपने उक्त खेत पर के.सी.सी. नहीं बना पा रहा है जिससे वादीगण को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उक्त खेत वादीगण के संयुक्त खातेदारी के होने से व उक्त खेतों पर वादीगण का संयुक्त रूप कब्जा—कास्त व उपयोग—उपभोग चले आने से व हल्का पटवारी द्वारा उक्त खेतों में वादीगण का नाम सही करने से इन्कार करने से वादीगण को उक्त खेतों के सम्बन्ध में वादाधिकार व वाद हेतु प्राप्त है। उक्त खेत रोही जैसलसर तहसील श्रीडूं[illegible] न्यायालय श्रीमान् को उक्त दावा को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्र[illegible] है। वादीगण का दावा जानकारी से अन्दर मियाद पर [illegible] पेश हैं। वादीगण का दावा जानकारी से अन्दर मियाद [illegible] पर पेश है।

अतः प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर [illegible] कि वादीगण का दावा [illegible] प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :—

(क) वादीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 444 तादादी 4.97 हैक्टेयर रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 3 का नाम बेबी के स्थान पर बबीता व सभी वादीगण के पिता का नाम चौखाराम के

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 16:37:24 IST
Reason: SelfAttested

स्थान पर बीरबलराम अंकित कर उक्त खेत के राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे।

(ख) घोषित किया जावे कि खेत खसरा नम्बर 444 तादादी 4.97 हैक्टेयर रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में 1/60–1/60 हिस्सा भूमि का खातेदार वादीगण कानाराम, आरती, बबीता, मंजू, सन्तोष व सोनी पुत्र/पुत्रियां बीरबलराम जाति रेगर है।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या दौराने दावा हितकर वादीगण हो जावे वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावे।

(घ) कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकाराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को वादीगण का वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादीगण वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

वादीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 444 तादादी 4.97 हैक्टेयर रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 3 का नाम वेवी के स्थान पर बबीता एवं वादीगण संख्या 1 ता 6 के पिता का नाम चौखाराम के स्थान पर बीरबलराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 16:37:24 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ
पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस
(राष्ट्रीय लोक अदालत)

उनवान

1. कानाराम 2. आरती 3. बबीता 4. मंजू 5. सन्तोष 6. सोनी पुत्र/पुत्रीया बीरबलराम जाति रेगर निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
दावा बाबत घोषणात्मक, विभाजन,चिरनिषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 94/2022
निर्णय दिनांक 12.11.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादीगण की ओर से नारायण पंवार एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 444 तादादी 4.97 हैक्टेयर रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 3 का नाम बेबी के स्थान पर बबीता एवं वादीगण संख्या 1 ता 6 के पिता का नाम चौखाराम के स्थान पर बीरबलराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किये जाने का आदेश दिया जाता है। **तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह........ 0..........फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 12 माह 11 सन् 2022 को जारी किया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	100	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	100	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 16:37:24 IST
Reason: SelfAttested